छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001 (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक .

शुद्धिपत्र

क्रमांकः 111/सी.एस.ई.आर.सी./2024 – ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2024'' अधिसूचना क्र. 109/सीएसईआरसी/2024 दिनांक 29 जुलाई, 2024, में निम्नलिखित विनियम को निम्नानुसार सुधार किया जाता है।

पृष्ठ क्र. 830(09) एवं 830(10), पैरा 27 में संहिता के विनियम 4.58 में तालिका के तीसरे कॉलम के शीर्षक में "(भुगतान की समयावधि को छोडकर)" शब्दों को विलोपित किया जाता है।

आयोग के आदेश से,

(एम.पी. पटेल)
उप सचिव

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission,

Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur- 492001 (CG)

Raipur, Dated .

CORRIGENDUM

No. 111/CSERC/2024 – The following Regulation in "Chhattisgarh State Electricity Supply Code (Fourth Amendment) 2024, notification no. 109/CSERC/2024, dated: 29 July, 2024 shall be corrected as under: -

On page no. 830(25) and 830(26), in the 3rd column of the table of para 27, in the Regulation 4.58 of the code, the words "(excluding payment period)" in the heading shall be omitted.

By order of the Commission,

(M.P. Patel)
Dy. Secretary